निर्णय नकलात श्री हिमांशु शर्मा आर.ए.एस
उप खण्ड अधिकारी - बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण नं. 78/14 प्रा.पत्र
दायरा दिनांक :- 29.10.14
निर्णय दिनांक 28.9.21

प्रार्थीगण

1. लड्डू पुत्र मथुरालाल जाति मीणा
2. पुरुषोत्तम पुत्र मथुरालाल जाति मीणा
3. जानकीलाल पुत्र मथुरालाल जाति मीणा
4. लेखराज पुत्र मथुरालाल जाति मीणा
5. मुरली पुत्र मथुरालाल जाति मीणा
6. रामचरण पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी तुलसी तह. बारां

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र गोविन्दा
2. धन्नालाल पुत्र गोविन्दा (मृतक)
2/1 लीलाधर पुत्र धन्नालाल
2/2 जीतू पुत्र धन्नालाल
2/3 लोकेश पुत्र धन्नालाल जाति मीणा निवासी लोलकिया तह. किशनगंज बारां

प्रा.पत्र 09 R 13 CPC
निर्णय दिनांक 28.9.2021

अभिभाषक उपस्थित :- 1 श्री बाबूलाल जैन - प्रार्थी
2. श्री योगेश कुमार नागर - अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 09 R 13 CPC इस आशय का पेश किया गया कि प्रकरण के मान. न्याया. द्वारा दिनांक 31.10.2002 को आदेश [illegible] दिनांक 29.7.2002 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई [illegible] 2007 को [illegible] डिक्री आंशिक भी जारी की गई [illegible] के [illegible] द्वारा

लगातार - 2

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:08 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उपरोक्त वाद मे प्रार्थी गण को कोई
सूचना नही दी गई प्रार्थी गण। रपट को कोई तामील जारी नही
किया गया फिर भी दिनांक 21.9.2001 को आदेशिका के पद लिख
दिया गया कि रपट बावजूद सूचना उपस्थित नही है जबकि पत्रावली
पर रपट के नाम का तामील प्रमाणित पत्रावली मे नही है। प्रार्थी गण
2 ता 6 के लिए दिनांक 12.7.2001 को तामील जारी किया गया सभी
समनों पर एक ही तरह की तामील है कि यह लोग घर पर नही
मिले इस कारण खुले मकान पर चस्पा किया गया तथा एक ही
गवाह का नाम दर्ज किया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी गण
की तामील पर्याप्त नही है जबकि प्रार्थी गण गांव उसी के ही
निवासी है तथा अक्सर गांव मे ही रहते है। वाद मे विवादित
भूमियां ग्राम रेवाड़ेरा तह० बारां के ख०नं० 2294, 2895, 2296, 2332
कुल किता 4 रकबा 4.55 हे० है तथा ग्राम उकली तह० बारां के ख०नं०
62, 63, 65, 129, 134, 135, 238 कुल 8 किता रकबा 4.31 हे० है इस
प्रकार दोनों गांवो की भूमियां कुल 8.86 हे० है इन भूमियों को विवादित
बनाकर बटवारे का वाद किया गया जिसमे अप्रार्थी गण का ¼, ¼ कुल
½ भाग बनाकर बटवारे का वाद किया गया। प्रार्थी गण के विरुद्ध एक
तरफा कार्यवाही की गई व आइन्दा कार्य मे भी इसको। हीरालाल के
बयान करवाये, छोटेलाल के प्रदर्श, लगायत प्रदर्श 3 जमाबन्दी पेश की
जो ग्राम उकली व रेवाड़ेरा की भी प्रदर्श, व प्रदर्श 2 जमाबन्दी रेवाड़ेरा
व उकली की चालू है प्रदर्श-1 मे अकेले मथुरालाल पुत्र गोविन्द लाल
मीणा का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है मथुरालाल को पक्षकार
नही बनाया गया इस जमाबन्दी मे अप्रार्थी गण का नाम खातेदारी
मे नही है तथा उनका कोई हिस्सा भी नही है फिर भी इस भूमि
को अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया गया, इसी प्रकार प्रदर्श-2 जमाबन्दी
मे मथुरालाल, छीतया, धन्ना, पुत्र गोविन्द का नाम है इसमे भी मथुरालाल
को पक्षकार नही बनाया गया [illegible] डिक्री जारी कर दी गई है
प्रार्थी गण को प्राप्ति [illegible] 2002 एवं अन्तिम डिक्री
दिनांक 31.10.2002 को [illegible] इन सर्वे नम्बरो का इन्तकाल
के लिए पटवारी हल्का के पास भेज [illegible] इन्त. तक पटवारी से बताया

उप खण्ड अधिकारी
बारां

लगातार - 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कि यह जमीन तुम्हारे खाते नहीं है तब उन्होंने अदालत के आदेश मालूम किया एवं दिनांक 17.9.2014 को नकल के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया ~~किया~~ व दिनांक 18.9.2014 को नकल मिली जब सारी जानकारी से प्रार्थना पत्र पेश किया पेश है इसके लिए दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अलग-अलग से पेश कर दिया गया है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. कर अप्रार्थी गण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जरिये अभिभाषक जवाब पेश हुआ। प्रा० पत्र के जवाब मे बताया कि पूर्व मे न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित किया है। प्रार्थीगण की तामील को पर्याप्त मानकर ही तत्समय उचित आदेश पारित किया गया है पूर्व मे किये गये वाद मे सभी आवश्यक दस्तावेजात को प्रकरण मे लगाये गये है। इस प्रकरण के प्रार्थीगण को पूर्व मे किये गये वाद की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है अप्रार्थी छीतरलाल द्वारा इस प्रकरण के प्रार्थी लटूर व पप्पा उर्फ पुरुषोत्तम से मौखिक रूप से पूर्व मे किये गये वाद वाद की चर्चा की गई है जिसमे लटूर स्वयं उपस्थित हुआ है वह उक्त वाद की ओर से अपना वकील भी खड़ा किया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गयी बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया गया वकील वादी का कथन है कि प्रार्थी की तलबी नहीं होने से वाद मे प्रार्थी के विरुद्ध उक्त वाद मे एक तरफा कार्यवाही कर एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया है संशोधित डिक्री की इत्तला नहीं दी है उक्त नहीं गया। प्रार्थी लटूर को बिना सूचना दिये बिना समन जारी किये कि संशोधित डिक्री जारी कर दी गयी पूर्व वाद पत्र मे झूठे मकान पर कोर्ट चलाया कर एक तरफा [illegible] कार्यवाही की गयी है पुनः सुनवाई का अवसर दिया जावे [illegible] पार्टी को मौका दिया जावे वर्ष 2014 मे मुआयना पर पटवारी के पास आने पर ज्ञात हुआ।

लगातार-5

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार प्रार्थी को पूर्व वाद पत्र में संशोधन का अवसर दिया जावे।

बहस अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गयी बहस के दौरान वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील अप्रार्थी का कथन है कि पूर्व का निर्णय न्याया० द्वारा पारित किया है प्रार्थी की गयी की तस्दी [illegible] के बाद उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी थी वर्ष 2007 में डिक्री में संशोधन करवाया गया। प्रार्थी को 2014 में पता चला है इसीलिए वर्ष 2014 में प्रा० पत्र प्रस्तुत किया है लिमिटेशन एक्ट के प्रा० पत्र में 6 का नाम नहीं है 5 की व्याख्या की तरह से 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रा० पत्र प्रस्तुत किया है बाकी पक्षकारो का देरी का कोई कारण नहीं? डिक्री को खारिज नहीं किया जा सकता यदि प्रार्थी को कोई आपत्ति है तो निर्णय व डिक्री के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिये। प्रार्थी द्वारा सक्षम न्याया० में अपील प्रस्तुत न करके प्रा० पत्र 09 R13 CPC का प्रस्तुत किया है जो सुनने योग्य नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रा० पत्र अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल निर्णय दिनांक 29.7.2002 उनवान छीतरलाल बनाम हजारीलाल एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.7.2002, नकल आदेश दिनांक 31.10.2002 व अंतिम डिक्री दिनांक 31.10.2002, एवं आंशिक संशोधन अंतिम डिक्री दिनांक 2.3.07, आदेशिका दिनांक 21.9.2001 के अनुसार प्रतिवादी क्र 7 का समन बाद तामील प्राप्त हुआ वादग्रस्त इजलास के न्याया० में उप० नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है इससे यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 21.9.2001 को आदेश लिखने के बाद प्रतिवादी क्र 7 का समन प्राप्त हुआ तब आदेशिका में इतना लिखने के बाद प्रतिवादी का समन बाद तामील प्राप्त हुआ लिखा गया है बाद [illegible] दिनांक 29.7.2002 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी तथा [illegible] 02 को अंतिम डिक्री एवं संशोधन 2.3.2007 को [illegible] प्रतिवादी को 12 साल बाद यह मालूम हुआ कि मेरे खिलाफ [illegible] डिक्री हो गया दौराने वाद प्रार्थी को वाद विचाराधीन होने का मालूम नहीं हुआ 12 साल बाद

उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

लगातार - 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बाद आपत्ति को मौके पता चला। यदि आपत्ति को बाद निर्णय व
डिक्री का पता चला तभी सहला -पाधा: से [illegible] [illegible] कार्यी
कार्यवाही की आपत्ति द्वारा 12 माह बाद, बाद पत्र के प्रत: प्रस्तुत
हेतु प्रा० पत्र पेश किया है जो सत्यौ योग्य नहीं होने के
कारण खारिज किया जाता है निर्णय निगरानी वादल करें इत्यादि
उठाया गया।

[signature]

हिमांशु शर्मा
उप खण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner